Ll.b.
2semester
Legal history.

Legal literacy

कारण अनसुना नहीं रखना चाहता।

विधिक साक्षरता

हमारी विधि एवं न्याय-व्यवस्था का एक ''सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि-''विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं होती।''[5]

अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को विधि की जानकारी होने की उपधारणा की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति से भी यह अपेक्षा की जाती है कि उसे विधि की जानकारी हो। कोई भी व्यक्ति विधि की अज्ञानता का बहाना

बनाकर अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों से बच नहीं सकता। यह उचित भी है क्योंकि यदि ऐसा होने लगा तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा बहाना बनाकर बच निकलने का प्रयास करने लगेगा।

विधि का ज्ञान इसलिये भी होना आवश्यक है कि यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन अथवा अतिक्रमण होता है तो वह अपने अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन हेतु न्यायालय में तभी दस्तक दे पायेगा जब उसे अपने अधिकारों की जानकारी होगी।

इसी साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ विभिन्न योजनायें प्रारंभ की गई हैं, जैसे–

(i) साक्षरता शिविर,

(ii) साहित्य प्रकाशन,

(iii) पेरा–लीगल क्लिनिक (Para-legal clinics),

(iv) पेरा–लीगल–सर्विसेज (Para-legal services) आदि।

आज गाँव–गाँव और घर–घर में विधिक ज्ञान की इस गंगा को प्रवाहित किया जा रहा है। हमारे न्यायिक अधिकारी, शिक्षक, समाजसेवी आदि निष्ठा एवं समर्पण भाव से इस अनुष्ठान में लगे हुए हैं।

सरकार की ओर से भी विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान आदि के माध्यम से प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा **कलाबेन कलाभाई देसाई** बनाम **अला भाई करमशी देसाई**[1], के मामले में यह कहा गया है कि महिलाओं और बालकों को उनके नि:शुल्क विधिक सहायता के अधिकार से अवगत कराना अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों का कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य के निर्वहन के बिना विधिक सहायता एवं विधिक साक्षरता का मिशन पूरा नहीं हो सकता।

स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम **मनुभाई प्रागजी वाशी**[2] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि–

''विधिक सहायता एवं साक्षरता स्कीम को गतिशील बनाने के लिए निजी महाविद्यालयों एवं संकायों को अनुदान दिया जाना चाहिये।''

इसी प्रकार **एडवोकेट्स एसोसियेशन, बँगलोर** बनाम **चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेन्ट ऑफ** कर्नाटक, बैंग्लोर[3] के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि–

''राज्य का यह दायित्व है कि यह अधिवक्ताओं को अभिभाषक परिषद् के लिए भवन, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधायें जुटाये।''

इस प्रकार जनसाधारण में विधिक चेतना (Legal awareness) जागृत करने के लिए हमारी विधि एवं न्याय–व्यवस्थाओं में समुचित व्यवस्थायें की गई हैं और की जा रही हैं।